51

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 2245/तीन/2013 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 28–2–2013 – पारित व्दारा – तहसीलदार, तहसील मउगंज जिला रीवा – प्रकरण कमांक 5 अ–12/2012–12

श्यामलाल पुत्र प्रहलाद कुशवाह
ग्राम बेलहाई तहसील मउबंज जिला रीवा ——आवेदक

विरूद्व

1– रामदरस पुत्र बुद्वी कुशवाह
2– उमेशकुमार पुत्र राधे कुशवाह
दोनों ग्राम बेलहाई तहसील मउबंज जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक अरसल उल सिद्वीकी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 10 – 07 –2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मउगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5 अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–2–2013 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र–1 ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 161/2 स्थित ग्राम बेलहाई के सीमांकन का आवेदन दिया , जिस पर से तहसीलदार मउगंज ने प्र0 कमांक 5 अ–12/2012–13

पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त मउगंज को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 25-11-11 को सीमांकन कार्य किया है तथा सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार मउगंज ने आदेश दिनांक 2872-13 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन के पूर्व कोई सूचना जारी नहीं की गई। मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, वल्कि अनावेदक क्र-1 के घर पर बैठकर पंचनामा बनाकर कागजात तैयार किये गये है और आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। इस प्रकार के सीमांकन को अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि सीमांकन के पूर्व आपत्तिकर्ता (आवेदक) को राजस्व निरीक्षक ने व्यक्तिगत सूचना दी है एंव तथा सीमांकन के समय मौके पर आवेदक एंव उसकी मॉ उपस्थित रहे हैं किन्तु पंचनामा पर उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया है। तहसीलदार ने आपत्तिकर्ता (आवेदक) को सुनवाई का अवसर दिया है । भूमि सर्वे क्रमांक 161/2 स्थित ग्राम बेलहाई का अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण उसके स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का ई0टी0एस0एम0 से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण तहसीलदार

मउबंज के प्रकरण कमांक 5 अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2872713 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती हे एंव तहसीलदार मउबंज द्वारा प्रकरण कमांक 5 अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2872713उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर